अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अप्रैल, 2006

का.आ. 507(अ).— जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 14 अगस्त, 2002 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 857 (अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार आश्रया- ए होम/रिहेबीलिटेशन सेन्टर फार फिजीकली हैंडीकैप्ड फीमेल चिलड्रन, पुलियील, पुलिया थुमुकु, किल्लीकोल्लुर कोलम-691004 केरल द्वारा आश्रया- ए होम/रिहेबीलिटेशन सेन्टर फार फिजीकली हैंडीकैप्ड फीमेल चिलड्रन, पुलियील, पुलिया थुमुकु, किल्लीकोल्लुर कोलम-691004 केरल के संचालन की परियोजना को कर निर्धारण वर्ष 2003-2004 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं0 3 पर विनिर्दिष्ट किया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना अथवा स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है,इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आश्रया- ए होम/रिहेबीलिटेशन सेन्टर फार फिजीकली हैंडीकैप्ड फीमेल चिलड्रन, पुलियील, पुलिया थुमुकु, किल्लीकोल्लुर कोलम-691004 केरल द्वारा चलाई जा रही आश्रया- ए होम/रिहेबीलिटेशन सेन्टर फार फिजीकली हैंडीकैप्ड फीमेल चिलड्रन, पुलियील, पुलिया थुमुकु, किल्लीकोल्लुर कोलम-691004 केरल के संचालन की परियोजना या स्कीम को अनुमानित लागत अर्थात 20.18 लाख रूपए में बिना कोई परिवर्तन किए वित्तीय वर्ष 2005-2006 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं. 107/2006/फा. सं. एन. सी.-270/55/2006]

सुनील चन्द्र शर्मा, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)